**बिहार सरकार**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**प्रेषक,**
**राहुल कुमार,**
**आयुक्त, मनरेगा**
**सेवा में,**

**सचिव**
**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,**
**बिहार, पटना**

**विषय -: राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा- 27 (1) के आलोक में जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण संबंधी विज्ञाप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।**

**महाशय,**

उपर्युकत विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा- 27 (1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट (www.nrega.nic.in) पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है ।

अनुरोध है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता, नियुक्ति की शर्ते, उम्र सीमा एवं आवेदन देने की प्रक्रिया से संबंधित सूचना की प्रति जो इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, को दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

**अनुलग्नक:- यथा उपरोक्त ।**

**विश्वासभाजन**

Signed by Rahul Kumar
Date: 31-08-2022 12:09:07
Reason: Approved

**(राहुल कुमार)**
**आयुक्त, मनरेगा**

प्रतिलिपि:- 1. श्री शैलेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ तथा उनसे अनुरोध है कि बेवसाइट पर लोकपाल के आवेदन हेतु लिंक विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि आवेदन प्राप्त किया जा सके ।

2. श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

मनरेगा के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है। विस्तृत दिशा- निदेश यथा दायित्व एवं कर्तव्य वेबसाईट (www.nrega.nic.in ) पर उपलब्ध है ।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के निम्नलिखित 14 जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

| क्र.सं. | जिला | क्र.सं. | जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | अरवल | 8 | बक्सर |
| 2 | किशनगंज | 9 | मधेपुरा |
| 3 | खगडिया | 10 | शेखपुरा |
| 4 | जहानाबाद | 11 | शिवहर |
| 5 | जमुई | 12 | सहरसा |
| 6 | नालंदा | 13 | समस्तीपुर |
| 7 | पूर्वी चम्पारण | 14 | सुपौल |

(नोट -: जिलों की संख्या बढ भी सकती है)

Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2022 (शुक्रवार) को संध्या **06:00** बजे तक होगी।

**नियुक्ति की शर्तें:-**

1. लोकपाल (Ombudsman) का चयन दो वर्षो के लिए होगा । उनके द्वारा संपादित कार्यो के समीक्षोपरांत उन्हें अधिकतम 2 बार एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।
2. लोकपाल (Ombudsman) के लिए प्रत्येक बैठक हेतु 2250/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम सीमा 45,000/- रूपये प्रति माह देय होगा । जॉच कार्य हेतु क्षेत्रीय भ्रमण की सुविधा देय होगी । इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे ।
3. लोकपाल (Ombudsman) का कार्यालय जिला स्तरीय मुख्यालय में होगा ।

**योग्यता:-** अचूक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो तथा जो निम्नांकित में से किसी भी एक या अधिक क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखते हों:-

क. लोक प्रशासन यथा प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत पदाधिकारी (लेवल 9 से अन्यून),

ख. विधि यथा न्यायिक सेवाओं के सेवानिवृत विधि पदाधिकारी,

ग. अभियंत्रण सेवाओं के सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से अन्यून,

घ. उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (डिग्री कॉलेज से अन्यून) के प्राचार्य सेवानिवृत व्यक्ति,

ङ. प्रबंधकीय योग्यता के साथ सामाजिक कार्य का अनुभव,

च. ख्याति प्राप्त NGO या सरकारी मान्यता प्राप्त निकाय/ समिति आदि के संबंध एवं सामाजिक कार्य का अनुभव ।

**उम्र सीमा:- अधिकतम 66 वर्ष- (दिनांक- 01.07.2022 के आधार पर)**

Signed by Rahul Kumar
Date: 31-08-2022 12:10:56
Reason: Approved

**आयुक्त, मनरेगा**
ग्रामीण विकास विभाग